न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज बाराबंकी ।

वाद संख्या 32/06 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

इ0के0बी0लाल बनाम सरकार

नकल आदेश दाखिल दि 25.7.06

इ0के0बी0लाल पुत्र यू0एस0 श्रीवास्तव, सचिव यू0एस0 श्रीवास्तव मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी सेक्टर-25 इन्दिरानगर लखनऊ ने अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी नं0 59 रकबा 0.0950हे0, 66 रकबा0.0486, 310 रकबा 0.0.119 299 रकबा 0.0320, 305 रकबा 0.191 व 300 रकबा 0.3930 हे0 जिस पर संस्था द्वारा कोई कृषि उपयोग का कार्य नहीं किया जा रहा है। संस्था उक्त भूमि को शैक्षिक प्रयोजन आदि में लाना चाहती है। अतः उक्त आराजी अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित करने की कृपा की जाये।

इस प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार नवाबगंज से करायी गई, तहसील की आख्या के अनुसार प्रश्नगत उपरोक्त गाटा संख्यायें स्थित ग्राम धरसनिया परगना देवा तहसील नवाबगंज पर यू0एस0श्रीवास्तव मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी सेक्टर-25 इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा सचिव के0बी0 लाल के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है । उक्त आराजी पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है । आराजी कृषि उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त आराजी में कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, ता!/ पशुपालन व कुक्कुटपालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी का कोई भू-भाग कृषि प्रयोजन में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए उक्त गाटा संख्याओं को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

मैंने तहसील की आख्या व पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा नक्शा खतौनी का विधिवत अवलोकन किया । गाटा संख्या 59 रकबा 0.095, 66 रकबा 0.486, 310 रकबा 0.118, 299 रकबा 0.0320, 305 रकबा 0.191 व 300 रकबा 0.3930 पर शैक्षिक प्रयोजन हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त गाटा संख्याओं पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन तथा कुक्कुटपालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः धारा 143 ज0वि0अ0 के तहत उक्त गाटा संख्याओं को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अतः गाटा संख्या 59, 300, 299, 305, 66, व 310 स्थित ग्राम धरसनिया परगना देवा तहसील नवाबगंज को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

24.7.6

(उमेश मिश्र)

उप जिलाधिकारी

नवाबगंज बाराबंकी ।

(उमेश मिश्र)

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट

नवाबगंज, बाराबंकी

8/11/06

352

55

19

(55)

न्यायालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 14/06-07 अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0

इं0के0वी0लाल बनाम सरकार

नकल आदेश ता० 4-1-07 ई०पी०एफ०

इं0के0वी0लाल सचिव यू0एस0 श्रीवास्तव मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी सेक्टर – 25 इन्दिरा नगर लखनऊ की ओर से इस न्यायालय पर धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमे कहा गया है कि संस्था के नाम ग्राम धरसनिया परगना देवां तहसील नवाबगंज, बाराबंकी मे गाटा सं0 294 रकबा 0.3160, 298 रकबा 0.1020, 287 रकबा 0.367, 308/526 रकबा 0.242, 309 रकबा 0.256 एवं 304 रकबा 0.172है0 कुल रकबा 1.4550है0 जिस पर संस्था द्वारा वर्तमान मे कृषि कार्य नही किया जा रहा है। संस्था द्वारा इसे शैक्षिक प्रयोजन मे लाया जाना है। अतः उक्त गाटा संख्याओं को अकृषक प्रयोजन मे प्रयुक्त भूमि घोषित करने की कृपा करें।

इस प्रार्थना पत्र की जांच तहसील से करायी गयी तहसील की आख्यानुसार गाटा सं0 294, 298, 287, 308/526, 309 व 304 को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा आबादी घोषित करने का निवेदन किया गया है। संस्था द्वारा वर्तमान मे कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा उक्त भूमि को संस्था शैक्षिक प्रयोजन मे लाना चाहती है। वर्तमान मे उक्त संस्था द्वारा समस्त भूखण्डों को घेरकर अपने कैम्पस मे शेरवुड इन्जीनियरिंग कालेज बनवाया जा रहा है। उक्त गाटाओं का अकृषिक प्रयोग हो रहा है। तहसीलदार की आख्या के साथ आकार पत्र (नियम–135) पर भी सूचना दी गयी है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व द्वारा भी प्रश्नगत गाटा संख्याओं को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने तहसील की आख्या व पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया। तहसील की आख्या एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के अनुसार उक्त गाटा संख्याओं का उपयोग किसी कार्य मे नही किया जा रहा है। इसमे शेरवुड इन्जीनियरिंग कालेज बनवाया जा रहा है। आकार पत्र (नियम–135) उक्त भूखण्डों को संस्थान द्वारा घेरकर शेरवुड इन्जीनियरिंग कालेज का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि उक्त गाटा संख्याओं कर प्रयोग कृषि, बागवानी, कुकुट पालन एवं मत्स्य पालन मे नही किया जा रहा है। वर्तमान समय मे भूखण्डों को घेरकर कालेज का निर्माण कराया जा रहा है। अतः उक्त गाटाओं को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक प्रयोजन मे प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने मे कोई वैधानिक अडचन नही है।

ग्राम धरसनिया परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी मे स्थित गाटा सं0 294 रकबा 0.3160, 298 रकबा 0.1020, 287 रकबा 0.367, 308/526 रकबा 0.242, 309 रकबा 0.256 एवं 304 रकबा 0.172है0 कुल रकबा 1.4550है0 को अकृषक प्रयोजन मे प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तदानुसार अभिलेखों मे अंकन किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 04–01–2007

(अवनीश सक्सेना)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज, बाराबंकी।

(अवनीश सक्सेना)
उप जिलाधिकारी
नवाबगंज, बाराबंकी

21 56